तार–जलनिगम

दूरभाषः 2620172, 2620272
फैक्सः 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांकः 909/2042-PFMS/20 दिनांक 01-10-2020

समस्त अधिशासी अभियंता
उत्तर प्रदेश जल निगम।

विषय– जल जीवन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शित अवशेष धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर धनराशि शून्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 22/2042–0005(मुख्यालय समीक्षा बैठक)/20 दिनांक 10.01.2020 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से अवमुक्त/व्यय किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तदोपरान्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से मुख्यालय द्वारा धनराशि अवमुक्त की जा रही है। यह संज्ञान में आया है कि कतिपय खण्डो/इकाईयो में अवशेष धनराशि का व्यय पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से नही किया गया है। इस कारण से खण्डो/इकाईयो में अवशेष धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रलक्षित हो रही है, जबकि वास्तव में इस धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

विभिन्न जनपदो/खण्डो में दिनांक 26.09.20 की स्थिति के अनुरूप विवरण संलग्न है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है कि प्रदेश के निम्न 2 खण्डो द्वारा माह सितम्बर, 2019 से आज तक एक भी भुगतान पी0एफ0एम0एस0 से नही किया गया है। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार स्थिति निम्नवत है–

रु० लाख में

क्र०सं०	जनपद/खण्ड का नाम	अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि
1	निर्माण खण्ड, झांसी	1365.94990	1365.94990
2	निर्माण खण्ड, फिरोजाबाद	111.27656	111.27656

स्पष्ट है कि उक्त 2 खण्डो से अधिशासी अभियंता द्वारा घोर लापरवाही बरती है। कृपया इस संबंध में संबंधित अधिशासी अभियंता अपने मुख्य अभियंता के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तथा उक्त की प्रवष्टि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर दिनांक 05.10.2020 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जी०पी० शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित विवरण संबंधित लेखाकारों को समुचित दिशा निर्देश देने का कष्ट करें।
3. समस्त मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम।

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)